न्यायालय उपजिलाधिकारी रूदौली,जिला–फैजाबाद।

वाद संख्या– 40 आफ 2010–11

अं0धारा–143 ज0वि0अधि0
ग्राम–टाण्डाखुलासाँ ,परगना–रूदौली
तहसील–रूदौली,जिला–फैजाबाद।

डा0दयाराम भुवन आदि बनाम. गांव सभा टाण्डा खुलासा

निर्णय

प्रस्तुत वाद डा0 दयाराम भुवन पुत्र राम दुलार निवासी–302 खिड़की अलीबेग कालेज रोड फैजाबाद व अन्य द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अं0 धारा–143 ज0वि0अधि0 पर प्रारम्भ हुआ जिसमें वादीजन ने कहा है कि भूमि गाटा संख्या–10/0.682 हे0 लगानी 9.00 स्थित ग्राम् टाण्डा खुलासा के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात और मौके पर काबिज व दखील है उक्त भूमि पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुटपालन बागवानी आदि का कार्य नही होता है पूर्णतया आवासीय प्रयोग मे लायी जा रही है। उक्त भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग पर बैरीकेटिंग करके निर्माण कार्य किया गया है इस प्रकार इस भूमि को उ0प्र0ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। इसी भूमि के 1/3 भाग को पूर्व मे बाद जांच अकृषिक घोषित किया जा चुका है किन्तु अब प्रार्थीजन गाटा संख्या 10 के सम्पूर्ण भाग को अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहते है। अतः भूमि गाटा संख्या 10/0.682 हे0 के शेष सम्पूर्ण भाग को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार रूदौली से करायी गयी जिसमें नायब तहसीलदार रूदौली ने अपनी आख्या प्रेषित कर उल्लेख किया है कि ग्राम टाण्डा खुलासा की गाटा संख्या 10/.0.682 हे0 वर्तमान मे खतौनी खाता संख्या 136 पर डा0 दयाराम भुवन पुत्र राम दुलार, डा0 भगवान स्वरूप बेत्ता पुत्र स्व0 आत्म बेत्ता नि0 शहर फैजाबाद व डा0 प्रतिमा सिंह पुत्री डा0 अमरेश बहादुर सिंह निवासी पूरे खांन रूदौली के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं जिस परं चिकित्सा शिक्षा भवन निर्माणाधीन है एवं स्थल पूर्णतया अकृषिक है। उक्त गाटा संख्या का 0.227 हे0 भूमि पूर्व मे दिनांक–23–04–2011 को अकृषिक घोषित किया जा चुका है शेष रकबा 0.455 हे0 अकृषिक घोषित किया जाना अवशेष है। अतः ग्राम टाण्डा खुलासा की खाता संख्या–136 वर्ष 1418–1423 फसली पर अंकित गाटा संख्या 10 मि/0.455 हे0 उ0प्र0ज0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की हैं।

उक्त के परिपेक्ष्य मे मेरे द्वारा प्रत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिससे विदित हुआ कि भूखण्ड संख्या–10 मि./0.455 हे0 माल गुजारी परता खाता स्थित. ग्राम टाण्डा खुलासा जो डा0 दयाराम भुवन पुत्र राम दुलार निवासी 302, खिड़की अलीबेग कालेज रोड फैजाबाद व डा0 भगवान स्वरूप बेत्ता पुत्र आत्म बेत्ता नि0 मकान नम्बर 489 आवास विकास कालोनी अमानीगंज, फैजाबाद व डा0 प्रतिमा सिंह पुत्री डा0 अमरेश बहादुर सिंह नि0 मोहल्ला पूरेखांन

Managing Director

कस्बा रूदौली, जनपद–फैजाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है जिसका उपयोग खातेदारों द्वारा कृषि जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि मे नहीं किया जा रहा है बल्कि गैर कृषिक रूप मे उपयोग किया जा रहा है। तदनुसार नायब तहसीलदार रूदौली की आख्या स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 10 मि/0.455 हे0 माल गुजारी परता खाता को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम– टाण्डाखुलासा की खतौनी खाता संख्या 137 की गाटा संख्या–10 मि/0.455 हे0 माल गुजारी परता खाता जो डा0 दयाराम भुवन पुत्र राम दुलार निवासी 302 खिड़की अलीबेग कालेज रोड फैजाबाद व डा0 भगवान स्वरूप बेत्ता पुत्र आत्म बेत्ता निवासी मकान नं0–489 आवास विकास कालोनी फैजाबाद व डा0 प्रतिमा सिंह पुत्री डा0 अमरेश बहादुर सिंह नि0 मोहल्ला पूरेखांन, कस्बा व तहसील रूदौली, जिला फैजाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखो मे संशोधन हेतु परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित अभिलेखागार हो।

(डा0एस0एन0सिंह)
उपजिलाधिकारी
रूदौली–फैजाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

रीडर
उपजिलाधिकारी
तहसील–रूदौली।

अहलमद
उपजिलाधिकारी
तहसील–रूदौली।

Managing Director
Indian Institute Of Medical Science
Rauzagaon - Ayodhya

301
2-8-11

FIVE RUPEE — COURT FEE
ONE RUPEE — COURT FEE
ONE RUPEE — COURT FEE

3-8-11 [illegible]

नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की तिथि	नकल तैयार होने की तिथि	नकल जारी होने की तिथि	नकल जारी करने वाले का हस्ताक्षर
2-8-11	2-8-11	3-8-11	[signature] 2-8-11 अहलमद उपजिलाधिकारी तहसील-हवेली

न्यायालय उपजिलाधिकारी [illegible] फैजाबाद
डा० [illegible] शुक्ल [illegible] बनाम [illegible]
अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अधिनियम
ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील
[illegible] 40 [illegible] 2-8-11
प्रतिलिपि आदेश दि० 2-8-11 [illegible]
[illegible] के लिए [illegible]
प्रमाणित

[signature]
2-8-11
अहलमद
उपजिलाधिकारी
तहसील-हवेली।

[stamp]

[signature]
Managing Director
Indian Institute Of Medical Scienc
Rauzagaon - Ayodhya

प्रारूप हस्तान्तरण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय रूदौली जिला–फैजाबाद

1	सम्बन्धित ग्राम के नाम, परगना तहसील व जिला	ग्राम- टांडा रखुनाथ परगना व तहसील- रूदौली जिला- फैंजाबाद
2	भौमिक अधिकार	भूमिधरी
3	हस्तान्तरित भूमि का विवरण	~~एक दरवाजा~~ ~~आवासीय~~ प्लाट 338x10 फिट = 3380 वर्ग फिट अर्थात 314.13 वर्गमीटर अन्तर्गत गाटा सं० - 12 खतौनी 1418-1423 फसली खाता सं० - 00335
4	हस्तान्तरित भूमि का लगान यदि कोई हो	
5	अधिकार हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	1- सूरेजपाल 2- रामपाल 3- तुलसी प्रसाद पुत्रगण बहादुर उर्फ राजबहादुर निवासीगण ग्राम- टांडा रखुनाथ परगना व तहसील रूदौली जिला- फैजाबाद
6	अधिकार प्राप्त होने का आधार	जरिये दान
7	अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	~~इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज~~ रौजागाव रूदौली द्वारा संचालित शिरडी साईं सेवा समिति अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भुवन पत्नी डा० दयाराम भुवन निवासी खिड़की अली बेग कालेज रोड फैजाबाद
8	अधिकार प्राप्त होने का दिनांक	दिनांक 30-11-2011 ई०
9	विशेष विवरण	[signature]

[signature]

Managing Director
Indian Institute Of Medical Science